<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, सिवान</u>

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1044/2026</u>

गुठनी थाना कांड सं0– 130/2026 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),351(1),352,3(5) भारतीय न्याय संहिता

इन्द्रावती देवी एवं अन्य...................................... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक .... विपक्षी

उपस्थित– **श्री सुमित कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से**
श्री अक्षय लाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

<u>आदेश</u>

<u>04.06.2026</u> अभियुक्तगण/आवेदकगण **इन्द्रावती देवी, देवेन्द्र गोंड, महेन्द्र गोंड, अनिश कुमार गोंड एवं मुनदर गोंड** की ओर से इनकी गिरफ्तारी की आशंका की वजह से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

अग्रिम जमानत वापसी हेतु एक आवेदन आज दिनांक 04.06.2026 को दाखिल किया गया जिसे संचालित किया गया। इस बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

जमानत आवेदन वापसी के बिन्दु पर अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि इस वाद मे आवेदकगण को पुलिस जमानत का लाभ दिया जा चुका हैं और आई0 ओ0 ने आरोप पत्र समर्पित कर दिया हैं। इस वजह से इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस करना आवश्यक है। आगे, उनके द्वारा उक्त अग्रिम जमानत याचिका को वापस करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया। इस बिन्दु पर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।

जमानत आवेदन वापसी हेतु आज दाखिल आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त आवेदकगण की ओर से आज दाखिल आवेदन दिनांक 04.06.2026 को स्वीकार करते हुए उक्त अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर निस्तारित (Disposed off) किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,
सिवान।